विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/19

श्री रंजीत सिंह सिसौदिया,
पिता श्री रामायण सिंह सिसोदिया,
निवासी ग्राम – कोहका पो0 – बींझावाड़ा,
तहसील व जिला – सिवनी (म0प्र0)

विरूद्ध

अधीक्षक यंत्री (संचा/संधा) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सिवनी (म0प्र0)

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सिवनी (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 22.11.2019 को पारित)

01. आवेदक रंजीत सिंह सिसौदिया पिता श्री रामायण सिंह सिसोदिया, निवासी ग्राम – कोहका पो0 – बींझावाड़ा, तहसील व जिला – सिवनी (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 15.01.2019 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1526/2018 के विरूद्ध श्री रंजीत सिंह सिसौदिया पिता श्री रामायण सिंह सिसोदिया, निवासी ग्राम – कोहका पो0 – बींझावाड़ा, तहसील व जिला – सिवनी (म0प्र0) विरूद्ध अधीक्षक यंत्री (संचा/संधा) वृत्त एवं कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सिवनी (म0प्र0) में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है । जो प्रकरण क्रमांक L00-02/19 पर दर्ज की गई ।

02. आवेदक के लिखित अभ्यावेदन के अनुसार अभ्यावेदन की विषय–वस्तु विद्युत बिल माफ करने एवं समायोजन करने बाबत् है तथा प्रकरण का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :–

विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश से असंतुष्ट हैं । अतः विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे हैं । फोरम द्वारा रंजीत पिता रामदयाल सनोडिया कहा गया है जो कि गलत है । रंजीत पिता रामायण सिंह सिसौदिया सही है । यह गलती वितरण केन्द्र द्वारा की गई है । अधिक बिल जमा किया गया है । आवेदक द्वारा जो कि न्यायोचित नहीं है ।

03. आवेदक ने विद्युत लोकपाल से विद्युत बिल समायोजन करने बाबत् राहत चाही है तथा क्षतिपूर्ति बतौर रू0 7 लाख की मांग की गई है । आवेदन ने अपने लिखित अभ्यावेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

(i) फोरम जबलपुर को आदेश की प्रति के लिए लिखे पत्र दिनांक 07.01.19 की प्रति ।

(ii) फोरम के आदेश दिनांक 28.09.18 की प्रति ।

(iii) दिनांक 11.06.2010 को संपादित उत्खनन पट्टा विलेख की प्रति ।

(iv) नवीन औद्योगिक कनेक्शन प्रभारों का श्री रंजीत सिंह S/o रामायण सिसौदिया के नाम में किए भुगतान की रसीद दिनांक 31.03.11 तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति ।

(v) कनिष्ठ यंत्री (ग्रामीण) सिवनी को लिखे पत्र दिनांक 04.01.19 एवं 12.02.12 की प्रतियां ।

(vi) 70 एच.पी. से 80 एच.पी. भार वृद्धि के स्वीकृति पत्र दिनांक 21.03.11 की प्रति ।

(vii) श्री रंजीत/रामायण सिंह सिसौदिया के नाम से भार वृद्धि के प्रभारों के भुगतान की रसीद क्रमांक MM/21773

(vii) श्री रंजीत S/o रामायण सिसौदिया के 70 एच.पी. स्टोन क्रेशर कनैक्शन के स्वीकृत प्राक्कलन क्रमांक 0244 दिनांक 18.03.11 व इसके मुख्य पृष्ठ क्रमांक 8858 दिनांक 23.03.2011 की प्रति ।

04. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक का ग्राम – कोहका पो0 – बींझावाड़ा, तहसील व जिला – सिवनी में वर्ष 2011 से संचालित 80 अश्व शक्ति भार के विद्युत कनेक्शन जिसका सर्विस क्रमांक 5844139031738770 था जो आवेदक द्वारा दिनांक 30.05.2016 को स्थाई रूप से विच्छेदित करवा लिया गया था, पर मार्च 2011 से मई 2016 तक विद्युत बिल पर ली अधिक राशि का समायोजन अनावेदक म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी जबलपुर द्वारा नहीं किए जाने के विरूद्ध शिकायत पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो कि फोरम में प्रकरण क्रमांक 1526/2018 पर दर्ज किया गया था । आवेदक ने अपने पत्र में शिकायत की थी कि उनके उक्त स्टोन क्रेशर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था, किन्तु विद्युत विभाग द्वारा उन्हें उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्र का विद्युत बिल न देकर शहरी क्षेत्र का दिया जा रहा था, जिससे उन्हें काफी आर्थिक क्षति हुई है जो कि न्यायोचित नहीं है ।

05. आवेदक ने अपने शिकायती पत्र में यह भी सूचित किया था कि उनके द्वारा पुनः स्टोन क्रेशर संचालित करने हेतु फरवरी 2018 से विद्युत कनेक्शन लेकर ग्रामीण क्षेत्र में ही चलाया जा रहा है, जिसका सर्विस क्रमांक 5844139033236596 है, जिसका विद्युत बिल ग्रामीण क्षेत्र की दर से दिया जा रहा है । आवेदक ने अवगत कराया था कि उनका स्टोन क्रेशर पूर्व में भी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था और वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, किन्तु विद्युत विभाग द्वारा पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में न देकर शहरी क्षेत्र का विद्युत बिल दिया गया था, जिससे उसे काफी आर्थिक क्षति हुई जो न्यायोचित नहीं है ।

06. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर ने अपने आदेश में सुनवाई के दौरान निम्न निष्कर्ष प्राप्त किया जाना सूचित किया है :–

(i) फोरम ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.08.18 का अवलोकन करने पर पाया कि आवेदक का कथन है कि क्रमांक 5844139033236596 उनके रंजीत सिंह सिसौदिया पिता श्री रामायण सिसौदिया के नाम से उपयोग हेतु है । फोरम द्वारा उक्त कथन के परिपेक्ष्य में विद्युत बिल माह मई 2018 का अवलोकन करने पर पाया कि कनेक्शन क्रमांक 5844139033236596 श्री रंजीत सिसौदिया पिता श्री रामदयाल सनोडिया है । इस

प्रकार फोरम ने पाया कि आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष दिया गया कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित उपभोक्ता के नाम अलग–अलग है ।

(ii) फोरम ने विवेचना के दौरान पाया कि कनेक्शन नं0 584413–90–3–1738770 जो कि रंजीत पिता श्री रामदयाल सी0नं0 17410 को बाबरिया में स्थापित था वह मई – 16 से उपभोक्ता द्वारा स्थाई रूप से विच्छेदित कराया जा चुका है और श्री रंजीत सिसौदिया पुत्र श्री रामदयाल के द्वारा विद्युत कनेक्शन के चालू रहते किसी भी प्रकार का विधि संबंधित आपत्ति/विवाद प्रस्तुत नहीं किया था वरन् स्वेच्छा से विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से समस्त दावों का निपटान करते हुए किया गया था । अतः प्रकरण फोरम के श्रृवण क्षेत्राधिकार से बाहर होते हुए विद्युत फोरम के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं है और न ही आवेदक उक्त प्रकार का प्रकरण फोरम के समक्ष विधिक रूप से चलाने हेतु अधिकृत है । अतः फोरम द्वारा श्री रंजीत सिंग सिसौदिया पिता श्री रामायण सिंग ग्राम कोहका पो0 भीलवाड़ा तह व जिला सिवनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया जाना न्यायोचित होगा ।

वादपत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करने के उपरांत फोरम ने निष्कर्ष प्राप्त किए कि :–

(i) आवेदक श्री रंजीत सिंह सिसौदिया पिता श्री रामायण सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.08.18 एवं 31.8.18 में चाही गई राहत, फोरम के श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है ।

(ii) प्रतिवादी के सक्षम अधिकारी समस्त दस्तावेजों/तथ्यों एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के शिकायत आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

(iii) आवेदक अपना पक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

07. आदेश : प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के गुण–दोष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश देता है :–

(i) श्री रंजीत सिंह सिसौदिया पिता श्री रामायण सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.08.18 एवं 31.8.18 में चाही गई राहत, फोरम के श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है ।

(ii) प्रतिवादी के सक्षम अधिकारी समस्त दस्तावेजों/तथ्यों एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के शिकायत आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

(iii) आवेदक अपना पक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

(iv) प्रकरण में उभय पक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे ।

08. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 06.02.2019 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में दिनांक 28.05.2019 को सुनवाई नियत की गई।

09. सुनवाई दिनांक 28.05.2019 को नियत की गई, किन्तु अपरिहार्य कारणों से दिनांक 27.05.2019 से दिनांक 02.06.2019 तक की अवधि में सुचीबद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण समेत 18 प्रकरणों में नियत सुनवाई को रिशेड्युल करना पड़ा जिस कारण प्रश्नाधीन प्रकरण की सुनवाई 11.06.2019 को नियत की गई ।

10. दिनांक 10.06.2019 को आयोजित प्रारंभिक सुनवाई के संबंध में अनावेदक श्री नरेश कुमार मिश्रा, अनुभाग अधिकारी, कार्यपालन अभियंता कार्यालय सिवनी द्वारा दूरभाष पर सूचित करते हुए कि उनके क्षेत्र में आंधी–तूफान के कारण बिजली के तार एवं खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और क्षेत्र की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप्प हो गई है, जिसे सुचारू करने के लिए जोर–शोर से कार्य शुरू है, जिसमें व्यस्तता के कारण अनावेदक सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, सुनवाई आगे बढ़ाई जाकर दिनांक 20.06.2019 के बाद नियत किए जाने का निवेदन किया गया । उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक को भी इस संबंध में सूचित किया जा चुका है तथा वे भी इससे सहमत हैं । अनावेदक के निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए तथा उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 25.06.2019 नियत की गई ।

11. दिनांक 25.06.2019 को आवेदक की ओर से श्री रामायण सिंह सिसोदिया तथा अधिवक्ता श्री विजय सिंह राय उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री अमित कुमार सिंह, सहायक यंत्री (टाऊन) सिवनी उपस्थित ।

आवेदक प्रतिनिधि ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि उनके द्वारा वर्ष 2011 में स्टोन क्रेशर हेतु नवीन कनेक्शन (सर्विस क्र0 90–3–1738770) लिया गया था, जिसका लिखित अनुबंध भी हुआ था । उनके द्वारा आवेदन रंजीत सिंह सिसोदिया पिता रामायण सिंह सिसोदिया नाम से दिया गया था, किन्तु त्रुटि के कारण बिल में उपभोक्ता का नाम रंजीत सिंह सिसोदिया पिता रामदयाल सिंह सनोड़िया लिखा है । इस कनेक्शन में विद्युत भार बढ़ाने का भी अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसे उत्तरवादी ने स्वीकार किया था । इस संबंध में उनके द्वारा कार्यपालन अभियंता सिवनी का भार स्वीकृति पत्र क्र0 10447 दिनांक 21.03.2011 (21.03.2012) की छायाप्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें उपभोक्ता ने नाम श्री रंजीत सिंह सिसोदया आत्मज श्री रामायण सिंह सिसोदिया दर्ज है ।

आवेदक ने सूचित किया है कि दिनांक 30.05.2016 को उन्होंने उक्त कनेक्शन का स्थाई विच्छेदन (P.D.) कराया । फरवरी 2018 में आवेदक द्वारा पी.डी. कनेक्शन चालू करने का निवेदन किया जिस पर अनावेदक ने आवेदक श्री रंजीत सिंह सिसोदया आत्मज श्री रामायण सिंह सिसोदिया को नया कनेक्शन क्र0 32–36596 प्रदान किया जो वर्तमान में चालू है । उक्त दोनों कनेक्शन उपभोक्ता के एक ही व्यक्ति आवेदक श्री रंजीत सिंह सिसोदया पुत्र श्री रामायण सिंह सिसोदिया के हैं । आवेदक ने अपने लिखित तर्क में सूचित किया है कि दिनांक 01.04.2011 को प्रदान कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्टोन क्रेशर में शहरी क्षेत्र का दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.05.2016 तक विद्युत बिल भुगतान किया गया । अनावेदक विद्युत मण्डल द्वारा लगभग 5,00,000/– रू0 की राशि अधिक ली गई, जिसका विद्युत कनेक्शन नंबर 32–36596 में समायोजन होना है ।

आवेदक के कथनानुसार माननीय निम्न न्यायालय ने आवेदक का प्रकरण इस आशय पर निरस्त किया कि दोनों कनेक्शनों में पिता का नाम अलग होने से न्यायालय के अधिकार से बाहर है । आवेदक के अनुसार अनावेदक ने कभी भी यह नहीं कहा है कि उक्त कथित दोनों कनेक्शन अलग–अलग व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं । आवेदक ने अपने लिखित तर्क में अपने कथन के पक्ष में पूर्ववर्ती कनेक्शन हेतु जमा राशि की रसीद विद्युत मण्डल से किए गए अनुबंध तथा आवेदक द्वारा विद्युत भार बढ़ाने के आवेदन पत्र की छायाप्रतियां संलग्न की है, जिसमें आवेदक का नाम रंजीत सिंह सिसौदिया पिता रामायण सिंह सिसोदिया वर्णित है किन्तु

विद्युत मण्डल की लिपिकीय त्रुटि के कारण कनेक्शन क्रमांक 90–3–1738770 के विद्युत बिल में श्री रंजीत सिंह सिसोदिया पिता रामदयाल सिंह सनोड़िया लिखा है, जिसके लिए आवेदक अपीलार्थी जिम्मेंदार नहीं हैं । माननीय निम्न न्यायालयने पिता का नाम अलग होने के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है वह आधार अनावेदक ने अपने जवाबदावा में भी नहीं लिया है । माननीय निम्न न्यायालय को विद्युत मण्डल से अन्य दस्तावेजों को बुलाकर भी देखा जा सकता था, जिससे प्रमाणित हो जाता कि दोनों विद्युत कनेक्शन एक ही व्यक्ति को प्रदान किए गए थे ।

उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी/आवेदक ने उनके द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विद्युत कनेक्शन क्र0 90–3–1738770 को शहरी क्षैत्र में स्थापित मानकर ग्रामीण क्षैत्र के टैरिफ के स्थान पर शहरी क्षैत्र का टैरिफ लगाकर अधिक ली गई राशि 5,00,000/– रू0 को वर्तमान कनेक्शन क्र0 32–36596 में समायोजित करने का निवेदन किया है ।

अनावेदक श्री अमित कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि आवेदक के पूर्ववर्ती कनेक्शन में आवेदक द्वारा अनावेदक के साथ विद्युत कनेक्शन हेतु अनुबंध संपादित किया था, जिसमें शहरी क्षेत्र हेतु लागू देयक टैरिफ 4.1 (बी) चुना गया था । अतः इस कनेक्शन के विद्युत बिल इसी टैरिफ पर जारी किए गए, जिस पर तत्समय आवेदक द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं ली गई और उनके द्वारा अपना कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ के आधार पर अंतर की राशि की मांग की जा रही है जो न्यायोचित नहीं है । चूंकि प्रश्नाधीन विद्युत कनेक्शन वर्ष 2016 में ही स्थाई रूप से विच्छेदित हो चुका है ।

अनावेदक ने सूचित किया कि आवेदक के अभ्यावेदन पर उनके द्वारा 12.03.2019 को लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें लिखित कथन किया गया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर में आवेदक के प्रकरण क्र0 1526/18 में सुनवाई की गई । सुनवाई उपरांत माननीय फोरम द्वारा दिनांक 28.09.2018 को आदेश पारित कर प्रकरण निरस्त कर दिया गया है । असंतुष्ट उपभोक्ता माननीय लोकपाल महोदय से आवेदन में स्थायी विच्छेदित औद्योगिक पॉवर कनेक्शन क्र0 584413–90–317338770 पर पूर्व में शहरी क्षेत्र हेतु लागू विद्युत टैरिफ से की गई बिलिंग (अवधि मार्च – 2011 कनेक्शन चालू होने की दिनांक से मई 2016 कनेक्शन स्थायी विच्छेदित होने की दिनांक तक) ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू टैरिफ के

अन्तर की राशि का समायोजन अन्य कनेक्शन क्र0 584413–90–33236596 पर देने हेतु माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अपील/आवेदन माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा निरस्त आदेश के विरूद्ध किया गया हैं ।

उक्त प्रकरण क्र0 1526/18 माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर द्वारा सुना गया एवं उनके आदेश दिनांक 28.09.2018 द्वारा निरस्त किया गया हैं । अतिरिक्त कथन – (i) यह कि माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर द्वारा उपभोक्ता के आवेदन में दिए गए सम्पूर्ण तथ्यों एवं प्रस्तुत समस्त जानकारी की विवेचना कर, आवेदक का प्रकरण माननीय फोरम द्वारा निरस्त कर दिया गया हैं जिस पर आवेदक द्वारा चाही गई अन्तर की राशि में छूट दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं । अनावेदक ने अपने लिखित उत्तर के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए हैं :–

(i) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर का आदेश दिनांक 28.09.2018 (1526/2018)

(ii) उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.03.2011 को किए गए अनुबंध की प्रतियां ।

(iii) वर्ष 2010–2011 में लागू टैरिफ की प्रतियां, एवं वर्ष 2017–2018 में लागू टैरिफ की प्रतियां ।

(iv) वर्तमान में जारी विद्युत कनेक्शन की बिल की प्रति ।

(v) पूर्व में जारी किए गए विद्युत कनेक्शन के बिल की प्रतियां ।

आवेदक की ओर से उपस्थित अधिकृत अधिवक्ता श्री विजय सिंह राय ने इस प्रश्न पर कि क्या आवेदक 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' में दी गई शिकायतकर्ता की परिभाषा के अन्तर्गत आता है, कथन किया कि उनके द्वारा प्रकरण एवं संबंधित रेगुलेशन का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया है, अतः उन्हें कुछ और समय दिया जावे ताकि वे प्रश्नाधीन प्रकरण की विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने संबंधी अपना तर्क प्रस्तुत कर सकें ।

12. सुनवाई दिनांक 17.07.2019 को आवेदक की ओर से श्री रामायण सिंह सिसोदिया, अपीलार्थी तथा आवेदक अधिवक्ता श्री सोमेन्द्र सक्सेना उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री अमित कुमार सिंह, प्रोग्रामर/सहायक यंत्री (टाउन), सिवनी उपस्थित ।

आवेदक अधिवक्ता श्री सोमेन्द्र सक्सेना ने कथन किया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15) में उल्लेखित किया गया है कि उपभोक्ता की परिभाषा में वह व्यक्ति आवेगा, जिसे लाईसेंसी द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत प्रदाय की जाती है । आवेदक को भी विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है, अतः अपीलार्थी विद्युत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, अतः निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाए ।

अनावेदक का कथन है कि चूंकि वर्ष 2016 में अपीलार्थी का कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित हो चुका है, अतः माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के रेगुलेशन ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009'' की कण्डिका 2.4 (डी) के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रश्नाधीन प्रकरण के लिए शिकायतकर्ता की श्रेणी में नहीं आता हैं, इसलिए प्रश्नाधीन प्रकरण माननीय विद्युत लोकपाल के कार्यक्षेत्र में नहीं आने से स्वीकार योग्य नहीं है । निवेदन है कि आवेदक का प्रकरण अस्वीकार कर निरस्त किया जाए । प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

13. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष की गई शिकायत (प्रकरण क्रमांक 1526/2018) में फोरम द्वारा दिनांक 28.09.2018 में पारित आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदक की शिकायत को फोरम के श्रृवण क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त करने का निर्णय दिया गया है । यद्यपि फोरम द्वारा अपने आदेश में निर्णय लिए जाने का स्पष्ट आधार अपने आदेश में दर्शित नहीं किया गया है तथापि आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संभवतः चूंकि शिकायत से संबंधित विद्युत कनेक्शन 2016 में ही आवेदक/उपभोक्ता द्वारा स्थाई रूप से विच्छेदित करवा लिया गया था, अतः आवेदक फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते समय अनावेदक का उपभोक्ता नहीं था और उपभोक्ता नहीं होने की स्थिति में आवेदक को शिकायतकर्ता नहीं मानते हुए फोरम

द्वारा आवेदक की शिकायत को अपने श्रवण क्षैत्राधिकार से बाहर पाते हुए निरस्त किया गया।

14. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न है कि फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते समय क्या आवेदक की स्थिति माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009'' की कण्डिका 2.4 (डी) के अनुसार एक शिकायतकर्ता की भी है । इस संबंध में विनियम की कण्डिका 2.4 (डी) तथा इसमें उल्लेखित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15(2), जो निम्नानुसार उद्धृत हैं, का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया ।

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009'' की कण्डिका 2.4 (डी) :–

2.4 (डी) ''शिकायत कर्ता (Complainant)'' से अभिप्रेत है –

(i) अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (15) में परिभाषित उपभोक्ता;अथवा
(ii) नवीन संयोजन हेतु एक आवेदनकर्ता; अथवा
(iii) उपभोक्ताओं की कोई पंजीकृत संस्था; अथवा
(iv) उपभोक्ताओं की कोई अपंजीकृत संस्था, जहाँ उपभोक्ताओं का एक–समान हित हो;

अथवा

(v) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि;

<u>विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15) :</u>

2(15) *''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत (ऐसा व्यक्ति – जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों (गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिए जोड़ा गया है;*

. उक्त वैधानिक प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि फोरम/विद्युत लोकपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तत्समय आवेदक का वैधानिक रूप से अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता होना अनिवार्य है चाहे उपभोक्ता के परिसर को विद्युत प्रदाय अस्थाई रूप से बंद किया गया हो । आवेदक द्वारा नवीन विद्युत संयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर भी वह माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के विनियम केअन्तर्गत शिकायतकर्ता माना जा सकेगा ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपने लिखित अपीलीय अभ्यावेदन तथा सुनवाई में किए गए कथन व प्रस्तुत जानकारी के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेदक ने अपनी अपील से संबंधित विद्युत कनेक्शन क्रमांक 584413–90–3–1738770 को वर्ष 16 में स्वैच्छिक रूप से स्थाई विच्छेदन करवा लिया था । इस प्रकार स्थाई विच्छेदन करवा लिए जाने के बाद इस विद्युत कनेक्शन के संदर्भ में आवेदक का अनुज्ञप्तिधारी से एक विद्युत उपभोक्ता का संबंध नहीं रह जाता है । अतः आवेदक द्वारा अगस्त 2018 में फोरम के समक्ष अपने स्थाई रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन क्रमांक 584413–90–3–1738770 के संबंध में शिकायत प्रस्तुत करते समय उसका तत्समय अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता नहीं होने के कारण फोरम के समक्ष उसे शिकायतकर्ता के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता तथा आवेदक की वैधानिक स्थिति शिकायतकर्ता की नहीं होने के कारण फोरम द्वारा उनके आवेदन को अपने श्रृवणाधिकार के बाहर मानते हुए निरस्त किया जाना माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के रेगुलेशन **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009'' की कण्डिका 2.4 (डी)** के प्रावधानों के अन्तर्गत उचित पाया जाता है।

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में भी आवेदक की वैधानिक स्थिति उक्त आधार पर एक उपभोक्ता/शिकायतकर्ता की नहीं पाई जाने से आवेदक यह अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं पाया जाता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रचलन हेतु योग्य न पाई जाकर उनके श्रृवण

क्षैत्राधिकार से बाहर पाई जाती है। इस आधार पर आवेदक की अपील निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जाना न्यायोचित होगा।

16. आवेदक की अपील अस्वीकार की जाती है । इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल